



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी सी 12 वी, विमूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

मादम सेव्या

सी-1/एन/एन0300सी0-1079/2014

दिनांक

31-10-14

सेवा में

श्री राजहंस इन्फाटेक प्रा0लि0,
ए-39, द्वितीय तल, ग्रेटर कैलाश-1,
नई दिल्ली।

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में
विस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

प्रति,

आपको सूचित किया जाता है कि आपने आवेदन पत्र दिनांक शून्य का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया
जा रहा है कि पर्यावरण अक्षय हो कि नष्ट हो कि पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों
के अन्तर्गत (संलग्नक) के सम्बन्धित अनुपालन के साथ सशर्त स्वीकृत की जाती है।

आपका आवेदन पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:-

1. नई इकाई स्थापना परियोजना श्री राजहंस इन्फाटेक प्रा0लि0, प्लॉट नं0- जीएच-6बी, सेक्टर-1, ग्रेटर
कैलाश, नई दिल्ली।

2. नई इकाई स्थापना परियोजना 701218 वर्गमीटर मूमी भूखण्ड, एफएआर 701218 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय
परियोजना का निर्माण।

आपको सूचित किया जाता है कि आपका आवेदन पत्र निम्नलिखित विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:-

आपको सूचित किया जाता है कि आपका आवेदन पत्र निम्नलिखित विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:-

आपको सूचित किया जाता है कि आपका आवेदन पत्र निम्नलिखित विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:-

आपको सूचित किया जाता है कि आपका आवेदन पत्र निम्नलिखित विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:-

आपको सूचित किया जाता है कि आपका आवेदन पत्र निम्नलिखित विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:-

14

उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।

आवासीय परियोजना "मे० राजहंस इन्फाटेक प्रा०लि०" जो 20034.8 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल में है, के अन्तर्गत एफ.ए.आर. 70121.8 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय परियोजना का निर्माण किया जाये। निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

6- संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार 317 के०एल०डी० घरेलू उत्प्लावक के शुद्धिकरण हेतु 380 के०एल०डी० क्षमता का एल०डी० स्थापित किया जाएगा।

संस्था द्वारा सुदिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी0जी0 सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विपणन मीटर स्थापित करें।

8. डिजिटल गैरत मनेजमेन्ट एमएसओडब्ल्यू कल्स 2000 के प्राविधानों के अनुसार किया जायें।

4. कमिशन ऑफ़ रिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबल प्लेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग/बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जाये।

प्रस्तावित डी०जी० सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ प्रस्तावनुसार चिमनी भी स्थापित की जाये।

कक्षा अनुसार सेन बालक हावेंस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

प्रतिशत प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में

वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत

संस्था/संस्थान का नाम : भारत सरकार / स्टेट इन्चार्जमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से

आपकी कार्यवाही के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों की जाँच कर ली जाएगी। यदि आपकी कार्यवाही में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो आपकी कार्यवाही को स्थगित किया जाएगा और आपको इसे ठीक करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे।

न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा
निर्णयित किया जाएगा।

परिस्थिति के आधार पर भूमि पर तथा परिसर के अन्दर स्वीरिंग


आपत्ति साक्षार/स्टेट इन्चायरमेंट इम्पैक्ट
उपसन्त ही यह अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवासीय परियोजना मै0 राजहंस इन्फ्राटेक प्रा0लि0, प्लॉट नं0- जीएच-8बी, सेक्टर-1,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

- 19- संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पत्रांक-एफ-50244/सी-1/जी/एन0ओ0सी0-1079/2014, दिनांक 21.10.14 का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.7.14 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय


(जे0एस0 यादव)
सदस्य सचिव

एन0ओ0सी0

तद दिनांक

मुख्य अधिकारी (धनारी) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता
पृष्ठ-1